

कार्यालय जिला पंचायत (ग्रामीण विकास) छिन्दवाडा म0प्र0

क्रमांक/6117 /जिपं/एन.आर.ई.जी.एस/एमआईएस/2009

छिन्दवाडा दिनांक 17.11.09

विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक 13616/एनआरईजीएस-मप्र/स्था/एनआर-2/09 दिनांक 31/10/2009 के परिपालन में कार्यालय जिला पंचायत छिन्दवाडा में जनपद पंचायतों अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र. के अंतर्गत **उपयंत्री** के रिक्त पदों पर जिला स्तर पर रोस्टर आरक्षण के अनुसार आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों हेतु आरक्षण निम्नानुसार होगा।

कुल पद	रोस्टर आरक्षण के आधार पर स्वीकृत पदों में आरक्षण			
	अनारक्षित	अन्य पिछडा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	2	3	4	5
30	10	0	5	15

संविदा उपयंत्री को वेतनमान रु5 5000-8000 एवं राज्य शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत के न्यूनतम मूलवेतन पर म0प्र0 शासन के द्वारा समय समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता के योग के बराबर राशि के रूप में मासिक पारिश्रमिक देय होगा।

- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :-** शासकीय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री/डिप्लोमा।
- अनुभव :-** निर्माण कार्य में अनुभवी को प्राथमिकता एवं आरक्षित वर्ग हेतु अनुभव में शिथिलता दी जावेगी।
- चयन प्रक्रिया :-** अभ्यर्थियों का चयन अंक सूची, अनुभव तथा साक्षात्कार के आधार पर किया जावेगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के 60 अंक, अनुभव के 30 अंक तथा साक्षात्कार के 10 अंक सहित कुल 100 अंक होंगे।
- उम्मीदवार की आयु :-** दिनांक 01.06.09 तक की स्थिति में 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये। महिला उम्मीदवार एवं अ.जा./अ.ज.जा. एवं विकलांग उम्मीदवारों के लिये आयु सीमा में शासन नियमानुसार छूट होगी। सेवानिवृत्त उम्मीदवार के चयन हेतु अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी।
- आवेदन शुल्क :-** उपयंत्री पद हेतु अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र के साथ 100/- रु. तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 50/- रु. का बैंक ड्राफ्ट स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छिन्दवाडा के नाम देय होगा आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। बैंक ड्राफ्ट के पीछे अर्थार्थी को अपना पूरा नाम व पता लिखना आवश्यक है।
- आवेदन की अंतिम तिथि :-** दिनांक .03.12.09.सायं 5:30 बजे तक आवेदन पत्र कार्यालय जिला पंचायत छिन्दवाडा में प्राप्त होना अनिवार्य है। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि के पश्चात् किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा। डाक द्वारा विलम्ब से कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त की जिम्मेदारी कार्यालय की नहीं होगी और न ही संलग्न बैंक ड्राफ्ट लौटाया जावेगा।

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति पूर्णतः संविदा आधार पर दो वर्ष के लिये की जावेगी। संविदा की अवधि अभ्यर्थी के पद ग्रहण करने के दिनांक से मान्य होगी।

अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रारूप एवं संविदा नियुक्ति की सेवा शर्तें कार्यालय जिला पंचायत छिन्दवाडा से कार्यालयीन समय पर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकेगी तथा जिला पंचायत छिन्दवाडा की वेबसाईड (<http://zpchhindwara.nic.in>) पर भी उपलब्ध रहेगी।

सही/-
मुख्य कार्यपालन
अधिकारी/अति.जिला
कार्यक्रम समन्वयक
जिला पंचायत छिन्दवाडा।

